# बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976



**जी० एस० आर० 4 दिनांक 10 फरवरी, 1976**—भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल सरकारी सेवकों के आचार को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

**1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और प्रयुक्ति**—(1) यह नियमावली बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 कहलाएगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(3) यह ऐसे प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होगी जो बिहार राज्य के कार्यों से सम्बन्धित किसी सिविल सेवा में या किसी पद पर नियुक्त हो और जो सरकार की नियमविधायी शक्तियों के अध्यधीन हो।

**2. परिभाषाएँ**—(क) इस नियमावली में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हों, "**सरकार**" से अभिप्रेत है–

(i) उस सरकारी सेवक की दशा में जिसकी सेवाएँ भारत सरकार को सौंप दी गयी हों, भारत सरकार।

(ii) उस सरकारी सेवक की दशा में जिसकी सेवाएँ किसी अन्य राज्य की सरकार को सौंप दी गई हों, उस राज्य की सरकार, और

(iii) अन्य सभी दशाओं में, बिहार सरकार।

(ख) "**सरकारी सेवक**" से अभिप्रेत है राज्य के कार्यों के सम्पादन के सम्बन्ध में सेवा करने के लिए नियुक्त ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके सम्बन्ध में बिहार-राज्यपाल भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन नियम बनाने में सशक्त हैं, चाहे वह व्यक्ति उस समय भारत सरकार के कार्यों के सम्बन्ध में सेवा कर रहा हो या किसी राज्य सरकार के कार्यों के सम्बन्ध में अथवा चाहे वह उस समय वाह्य सेवा में हो या छुट्टी पर हो।

**स्पष्टीकरण**— जिस सरकारी सेवक की सेवाएँ सरकार द्वारा किसी कम्पनी, निगम, संगठन या स्थानीय प्राधिकार को सौंप दी गई हों, वह इस नियमावली के प्रयोजनार्थ, सरकार के अधीन काम करनेवाला सरकारी सेवक ही समझा जाएगा, भले ही वह अपना वेतन राज्य की संचित निधि से भिन्न किसी स्त्रोत से पाता हो।

(ग) सरकारी सेवक के सम्बन्ध में "**परिवार के सदस्य**" में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल हैं :—

(i) सरकारी सेवक की यथास्थिति, पत्नी या पति, चाहे वह सरकारी सेवक के साथ रहता / रहती हो या नहीं, किन्तु इसमें यथास्थिति, ऐसी पत्नी या पति शामिल नहीं हैं जो किसी सक्षम न्यायालय की डिग्री या आदेश से उस सरकारी सेवक से अलग हो गया / गई हो,

(ii) सरकारी सेवक का ऐसा पुत्र या पुत्री अथवा सौतेला पुत्र या सौतेली पुत्री जो उस पर पूर्णतः आश्रित हो, किन्तु इसमें ऐसा पुत्र / या पुत्री अथवा सौतेला पुत्र या सौतेली पुत्री शामिल नहीं है जो सरकारी सेवक पर अब आश्रित नहीं रह गया / गयी हो अथवा जिसको अभिरक्षा के दायित्व से सरकारी सेवक किसी विधि द्वारा या विधि के अधीन वंचित कर दिया गया हो,

(iii) ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जो सरकारी सेवक की पत्नी या पति के साथ रक्तमूलक या विवाहमूलक सम्बन्ध रखता हो और उस सरकारी सेवक पर पूर्णतः आश्रित हो।

(घ) "**विहित प्राधिकारी**" से अभिप्रेत है—

(i) राजपत्रित सरकारी सेवकों के विषय में, सरकार के वैसे विभाग जिनके संवर्ग (काडर) या स्थापना में वे रखे गए हों;

(ii) श्रेणी III के पद धारण करनेवाले सरकारी सेवकों के विषय में नियुक्ति प्राधिकारी;

(iii) श्रेणी IV के पद धारण करनेवाले सेवकों के विषय में, उस स्थापना का प्रधान जिसमें वे रखे गए हों, और

(iv) ऐसे सरकारी सेवक के विषय में जो वाह्य सेवा में या प्रतियोजन पर हो, यथास्थिति वह मूल विभाग या कार्यालय जिसके संवर्ग या स्थापना में वह रखा गया हो।

**3. (1) सामान्य**—हर सरकारी सेवक सदा—

(i) पूरी शीलनिष्ठा रखेगा,

(ii) कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा रखेगा, और

(iii) ऐसा कोई काम न करेगा जो सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय हो।

(2) हर सरकारी सवक जो पर्यवेक्षी पद पर हो इसके लिए सभी सम्भव प्रयास करेगा कि सत्समय उसके नियंत्रण और प्राधिकार के अधीन स्थित सभी सरकारी सेवक शीलनिष्ठा और कर्त्तव्यनिष्ठा बनाए रखें।

(3) हर सरकारी सेवक अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्पादन में अथवा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अपने उत्तम विवेक से ही काम लेगा, सिवाय वहाँ जहाँ कि वह अपने उच्चतर पदाधिकारी के निर्देश के अधीन काम कर रहा हो, और जब वह ऐसे निदेश के अधीन काम कर रहा हो, तब जहाँ व्यावहारिक न हो वहाँ उसके बाद यथाशीघ्र उस निदेश की लिखित सम्पुष्टि करा लेगा।

**स्पष्टीकरण**— नियम 3 के उप-नियम (3) की किसी बात से यह अर्थ न लगाया जायगा कि सरकारी सेवक को अपने उच्चतर पदाधिकारी या प्राधिकार से अनुदेश या अनुमोदन लेकर अपने उत्तरदायित्वों से बचने की शक्ति वहाँ भी प्राप्त है जहाँ शक्तियों और उत्तरदायित्वों के वितरण की व्यवस्था के अनुसार ऐसा अनुदेश लेना आवश्यक नहीं है।

**4. मादक पेयों और औषधों का सेवन**—(1) कोई सरकारी सेवक—

(i) जिस समय कर्त्तव्य पर रहे, किसी मादक पेय या औषध के नशे से इस हद तक प्रभावित न रहेगा जिससे कि वह अपने कर्त्तव्यों को ठीक-ठीक और दक्षतापूर्वक निभाने में असमर्थ हो जाएँ।

(ii) मादक पेय या औषध के प्रयोग का असंयमित रूप में अभ्यासी न होगा।

(iii) सार्वजनिक स्थान में नशे की अवस्था में उपस्थित न होगा, और

(iv) सार्वजनिक स्थान में किसी मादक पेय या औषध का सेवन न करेगा।

**स्पष्टीकरण**—इस नियम के प्रयोजनार्थ, सार्वजनिक स्थान से अभिप्रेत है ऐसा कोई स्थान या परिसर (सवारी सहित) जिसमें पैसा देकर या अन्यथा आम जनता का प्रवेश होता है या अनुज्ञात है।

(2) हर सरकारी सेवक तत्समय जिस क्षेत्र में हों उस क्षेत्र में प्रवृत्त मादक पेय या औषध सम्बन्धी विधि का कड़ाई के साथ पालन करेगा।

**5. प्राइवेट उपक्रमों (उद्यमों) में सरकारी सेवकों के निकट सम्बन्धियों का नियोजन**—(1) कोई सरकारी सेवक किसी ऐसे प्राइवेट उपक्रमों में जिसके साथ उसे पदीय कारबार करना पड़ता है या किसी ऐसे अन्य उपक्रमों में जिसके साथ सरकार का कारबार चलता हो, अपने परिवार के किसी सदस्य को नियोजन दिलाने के लिए अपने पदीय प्रभाव का प्रयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं करेगा।

(2) कोई सरकारी सेवक, सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना, अपने पुत्र, पुत्री या अन्य आश्रितों को किसी प्राइवेट उपक्रम में, जिसके साथ उसका पदीय कारबार हो या किसी ऐसे उपक्रम में, जिसका सरकार के साथ कारबार हो, कोई नियोजन स्वीकार करने की अनुज्ञा नहीं देगा :

परन्तु जहाँ किसी नियोजन की स्वीकृति सरकार की पूर्व अनुज्ञा की प्रतीक्षा में रोकी नहीं जा सकती हो, या अन्यथा अति आवश्यक समझी जाए, वहाँ यह सरकार को सूचित की जायगी, और सरकार की अनुज्ञा की प्रत्याशा में नियोजन, कच्चे तौर पर स्वीकार किया जा सकेगा।

(3) यदि किसी सरकारी कर्मचारी के परिवार का कोई सदस्य, सरकार द्वारा अनुज्ञा अस्वीकृत होने के बावजूद, उपर-निर्दिष्ट किसी नियोजन को स्वीकार कर ले, तो सरकारी सेवक यह बात सरकार को सूचित करेगा और यह भी बतायेगा कि उसे उक्त उपक्रम के साथ कोई पदीय कारबार है या था कि नहीं।

(4) (क) कोई सरकारी सेवक अपने पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन के क्रम में किसी उपक्रम या अन्य व्यक्ति से सम्बन्धित किसी मामले में कोई कार्रवाई न करेगा तथा उसे कोई ठेका न देगा, यदि उसके परिवार का कोई सदस्य उस उपक्रम में या उस अन्य व्यक्ति के अधीन नियोजित हो, अथवा वह स्वयं या उसके परिवार का

कोई सदस्य अन्य रीति से उस उपक्रम या उस अन्य व्यक्ति के साथ हित-सम्बद्ध हो।

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी मामले में सरकारी सेवक यह बात अपने उच्चतर प्राधिकारी को निर्दिष्ट करेगा और इसके बाद उस उच्चतर पदाधिकारी के अनुदेशों के अनुसार वह मामला निबटाया जायगा।

**6. राजनीति और निर्वाचनों में भाग लेना**—(1) कोई सरकारी सेवक किसी भी राजनीतिक दल का अथवा राजनीति में भाग लेने वाले किसी संघटन का न तो सदस्य होगा, न अन्यथा उससे सहयुक्त होगा और न किसी राजनीतिक आन्दोलन या कार्य कलाप में भाग लेगा, न उसके सहायतार्थ चन्दा देगा या किसी दूसरे ढंग से उसकी सहायता करेगा।

(2) हर सरकारी सेवक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह अपने परिवार के किसी सदस्य को किसी ऐसे आन्दोलन या कार्य कलाप में जो विधि द्वारा स्थापित सरकार को उलटने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उद्यत या उन्मुख, भाग लेने, सहायतार्थ चन्दा देने या किसी दूसरे ढंग से उसमें मदद पहुँचाने से रोकने की चेष्टा करे, और यदि कोई सरकारी सेवक अपने परिवार के किसी सदस्य को ऐसे आन्दोलन में या कार्य कलाप में भाग लेने, चन्दा देने या किसी दूसरे ढंग से मदद पहुँचाने से रोकने में विफल हो, तो वह सरकार को यह बात सूचित करेगा।

(3) यदि यह प्रश्न उठे कि कोई आन्दोलन या कार्य कलाप इस नियम के दायरे के भीतर पड़ता है या नहीं, इस पर सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

(4) कोई सरकारी सेवक किसी विधान-मंडल या स्थानीय प्राधिकार के किसी निर्वाचन में न तो लोगों से मत-संयाचना (कनवार्सिंग) करेगा, न अन्यथा हस्तक्षेप या अपने प्रभाव का प्रयोग करेगा, और न भाग लेगा :

परन्तु (i) जिस सरकारी सेवक को ऐसे निर्वाचन में मत देने का अधिकार है वह अपने इस अधिकार का प्रयोग कर सकेगा किन्तु यदि वह ऐसा करेगा तो यह बात प्रकट नहीं करेगा कि वह किसे मत देना चाहता है या उसने किसे मत दिया है।

(ii) किसी सरकारी सेवक को केवल इसी कारण इस उपनियम में उपबन्ध का उल्लंघन करने वाला नहीं समझा जायगा कि वह तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या के अधीन अपने ऊपर सौंपे गये कर्त्तव्यों के समुचित पालन में किसी निर्वाचन के संचालन में सहायता करता है।

**स्पष्टीकरण**—किसी सरकारी सेवक द्वारा अपने शरीर, सवारी या निवास पर किसी निर्वाचन-चिह्न के प्रदर्शन को इस उपनियम के अर्थ के अन्तर्गत निर्वाचन में अपना प्रभाव डालना माना जायेगा।

**7. सरकारी सेवकों का संघों (एशोसिएशनों) में शामिल होना**—कोई सरकारी सेवक किसी ऐसे संघ में शामिल न होगा या उसका सदस्य न रहेगा, जिसके उद्देश्य या कार्य कलाप भारत की सार्वभौमता और अखण्डता अथवा लोक व्यवस्था या नैतिकता के हितों के प्रतिकूल हों।

**8. प्रदर्शन और हड़ताल**—कोई सरकारी सेवक—

(i) किसी ऐसे प्रदर्शन में सम्मिलित न होगा या उसमें भाग न लेगा, जो भारत की सार्वभौमता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों में मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, लोक व्यवस्था, भद्रता या नैतिकता के हितों के प्रतिकूल हो अथवा जिसमें किसी न्यायालय का अपमान किसी की मानहानि या किसी अपराध के लिए उत्प्रेरणा अर्न्तग्रस्त हो, या

(ii) अपनी सेवा या किसी अन्य सरकारी सेवक से सम्बद्ध किसी विषय के सम्बन्ध में किसी प्रकार की हड़ताल या प्रपीड़न या शारीरिक सम्बाधन का न सहारा लेगा और न उसके लिए दुष्प्रेरण करेगा।

**9. समाचार पत्र या रेडियो से सम्बन्ध**—(1) कोई सरकारी सेवक सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, स्वयं या अपने परिवार के किसी सदस्य अथवा किसी अन्य व्यक्ति के जरिए, समाचार पत्र या अन्य आवधिक प्रकाशनों का पूर्णतः या अंशतः स्वामी न होगा और न किसी प्रकार या रीति से उसका सम्पादन अथवा प्रबन्ध करेगा या उनमें भाग लेगा।

(2) कोई सरकारी सेवक, सरकार की या विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना, अथवा अपने कर्त्तव्यों के वास्तविक पालन के अलावा—

(क) स्वयं या अपने परिवार के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति के जरिये या किसी प्रकाशक के जरिये कोई पुस्तक प्रकाशित न करेगा या किसी पुस्तक या रचनाओं के संकलन में रचना न देगा, या

(ख) अपने नाम से या गुमनाम से अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से किसी रेडियों प्रसारण में भाग न लेगा या किसी समाचार पत्र या पत्र-पत्रिका को रचना न भेजेगा या पत्र न लिखेगा :

परन्तु ऐसी मंजूरी अपेक्षित न होगी, यदि—

(i) ऐसा प्रकाशन किसी प्रकाशक के जरिये किया जाए, और विशुद्ध साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक ढंग का हो, या

(ii) ऐसी रचना, प्रसारण या लेखन विशुद्ध साहित्यिक या कलात्मक या वैज्ञानिक ढंग का हो।

**10. सरकार की आलोचना**—कोई सरकारी सेवक किसी रेडियो प्रसारण में अथवा गुमनाम या छद्मनाम् से, या अपने नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से प्रकाशित लेख्य में या समाचार पत्र को प्रेषित पत्रादि में अथवा किसी सार्वजनिक कथन में कोई ऐसा तथ्य या विचार व्यक्त न करेगा—

(i) जिसका अर्थ भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की किसी प्रचलित या नयी नीति या कार्य की प्रतिकूल आलोचना हो, या

(ii) जो भारत सरकार और किसी राज्य सरकार के पारस्परिक सम्बन्ध में कठिनाई उत्पन्न कर सकता हो,

(iii) जो भारत सरकार और किसी विदेशी राज्य की सरकार के पारस्परिक सम्बन्ध में कठिनाई उत्पन्न कर सकता हो :

परन्तु इस नियम की कोई बात किसी सरकारी सेवक के किसी ऐसे वक्तव्य या विचार पर लागू न होगी जिसे उसने अपनी पदीय हैसियत से या अपने ऊपर सौंपे गये कर्त्तव्यों के सम्यक् पालन में दिया गया व्यक्त किया हो।

**11. समिति या किसी अन्य प्राधिकार के समक्ष साक्ष्य**—(1) उपनियम (3) में उपबन्धित स्थिति को छोड़कर कोई सरकारी सेवक, सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, किसी व्यक्ति, समिति या प्राधिकार द्वारा की जाने वाली जाँच के सम्बन्ध में साक्ष्य न देगा।

(2) जहाँ उपनियम (1) के अधीन ऐसी मंजूरी दी गयी हो वहाँ ऐसा साक्ष्य देते हुए सरकारी सेवक केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार की नीति या किसी कार्य की आलोचना न करेगा।

(3) इस निबम की कोई बात निम्नलिखित लक्ष्यों पर लागू न होगी :—

(क) सरकार, संसद् या राज्य विधानमण्डल द्वारा नियुक्त प्राधिकार के समक्ष जाँच में दिया गया साक्ष्य,

(ख) किसी न्यायिक जाँच में किया गया साक्ष्य, और

(ग) सरकार के अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा आदेशित किसी विभागीय जाँच में दिया गया साक्ष्य।

Secrecy Privacy

**12. जानकारी का अप्राधिकृत संसूचना**—कोई सरकारी सेवक, सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश अनुसरण अथवा अपने ऊपर सौंपे गये कर्त्तव्यों के सद्भावपूर्वक पालन से अन्यथा, किसी सरकारी लेख्य या उसके किसी अंश की विषय वस्तु या जानकारी किसी ऐसे सरकारी सेवक या किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्षतः या परोक्षतः संसूचित न करेगा जिसे वह ऐसी विषय-वस्तु या जानकारी संसूचित करने के लिए प्राधिकृत नहीं है।

**स्पष्टीकरण**—किसी सरकारी सेवक द्वारा (कार्यालय प्रधान या विभागाध्यक्ष या सरकार को सम्बोधित अपने स्पष्टीकरण, अभिवेदन, अपील, अभ्यावेदन आदि में) किसी ऐसे पत्र, परिपत्र या कार्यालय-ज्ञापन से अथवा किसी ऐसी संचिका की टिप्पणियों से जिसे देखने के लिए वह प्राधिकृत नहीं है अथवा जिसे वह अपने व्यक्तिगत प्रयोजनों के लिए या अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखने के लिए प्राधिकृत नहीं है, उद्धरण लेना इस नियम के अर्थ में जानकारी का अप्राधिकृत संसूचक माना जायगा।

**13. चंदा**—कोई सरकारी सेवक सरकार या विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना किसी भी उद्देश्य से/के लिए कोई निधियाँ, अन्य राशि जमा करने के लिए नगद या वस्तु रूप में चन्दा न माँगेगा, न ऐसे काम में भाग लेगा।

**14. प्रीतिदान**—जहाँ इस नियमावली में अन्यथा उपबन्ध है वहाँ छोड़कर कोई सरकारी सेवक, सरकार या विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना, कोई प्रीतिदान स्वीकार न करेगा या अपने परिवार के किसी सदस्य या उसकी ओर से काम कर रहे किसी अन्य व्यक्ति को कोई उपहार करने की अनुमति न देगा।

**स्पष्टीकरण**—इस नियम के प्रयोजनार्थ "प्रीतिदान" के अन्तर्गत सरकारी सेवक से कोई पदीय सम्बन्ध न रखनेवाले निकट सम्बन्धी या व्यक्तिगत मित्र से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया मुफ्त परिवहन, मुफ्त भोजन, मुफ्त आवास, या कोई अन्य सेवा अथवा आर्थिक लाभ आते हैं, लेकिन इसके अन्तर्गत आकस्मिक भोजन, आकस्मिक प्रीतिदान या अन्य सामाजिक आतिथ्य नहीं आते हैं।

**टिप्पणी**—सरकारी सेवक (i) अपने साथ पदीय सम्बन्ध रखने वाले किसी व्यक्ति का या किसी औद्योगिक अथवा वाणिज्यिक फर्म, संगठन आदि का खर्चीला या बार-बार आतिथ्य स्वीकार करने से, और

(ii) किसी सार्वजनिक भवन के शिलान्यास का किसी समारोह के अवसर पर भेंट की गई कोई करनी, चाभी या ऐसी अन्य वस्तुएँ स्वीकार करने से परहेज करेगा।

(2) विवाह, जन्मतिथि, अन्त्येष्टि और धार्मिक पर्व जैसे अवसरों पर यदि प्रीतिदान देना प्रचलित धार्मिक या सामाजिक प्रथा के अनुरूप हो, तो सरकारी सेवक अपने निकट सम्बन्धियों से प्रीतिदान स्वीकार कर सकेगा, किन्तु यदि ऐसे किसी प्रीतिदान का मूल्य 1500रु० से अधिक हो तो वह इसकी सूचना सरकार को देगा।

(3) उपनियम (2) में यथा विनिर्दिष्ट अवसरों पर सरकारी सेवक अपने साथ पदीय सम्बन्ध न रखने वाले व्यक्तिगत मित्रों से प्रीतिदान स्वीकार कर सकेगा किन्तु यदि ऐसे प्रीतिदान का मूल्य 200 रु० से अधिक हो तो वह इसकी सूचना सरकार को देगा।

(4) अन्य किसी भी दशा में, सरकारी सेवक, सरकार या विहित प्राधिकारी की मंजूरी के बिना, ऐसा कोई प्रीतिदान स्वीकार न करेगा, यदि उसकी मूल्य श्रेणी-1 या श्रेणी-2 का पद धारण करने वाले सरकारी सेवक की दशा में 75 रु० से अधिक और श्रेणी-3 या श्रेणी-4 का पद धारण करने वाले सरकारी सेवक की दशा में 25 रु० से अधिक हो।

परन्तु यदि सरकारी सेवक के लिए सरकार या विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी प्राप्त करना व्यवहार्य न हो, तो वह ऐसा प्रीतिदान स्वीकार करने के एक महीने के भीतर, यथास्थिति सरकार या विहित प्राधिकारी को इसकी सूचना देगा, जिसमें बतायेगा कि किन परिस्थितियों में ऐसा प्रीतिदान स्वीकार किया गया और यदि सरकार या विहित प्राधिकारी ऐसे प्रीतिदान का स्वीकार करना अनुमोदित न करे तो वह प्रीतिदान उसके दाता को लौटा देगा।

**15. सरकारी सेवकों के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन**—(1) कोई सरकारी सेवक सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना कोई सम्मान पत्र या विदाई-पत्र, कोई प्रशंसा-पत्र स्वीकार करेगा, या अपने या किसी अन्य सरकारी सेवक के सम्मान में आयोजित किसी सभा या समारोह में उपस्थिति न होगा :

परन्तु इस नियम की कोई बात निम्नलिखित स्थितियों में लागू न होगी।

(i) जहाँ किसी सरकारी सेवक के सम्मान में उसके सेवा निवृत्ति या स्थानान्तरण के अवसर पर या किसी ऐसे व्यक्ति के सम्मान में जिसने हाल ही में किसी सरकार की सेवा छोड़ी हो, सारतः वैयक्तिक और अनौपचारिक ढंग का विदाई समारोह आयोजित किया जाए, या

(ii) जहाँ लोक निकायों या संस्थाओं द्वारा नाममात्र खर्च पर सदा सत्कार आयोजित किया जाए।

(2) कोई सरकारी सेवक किसी विदाई समारोह में, भले ही वह पूर्णतः प्राइवेट और अनौपचारिक ढंग का हो, चन्दा देने के लिए सरकारी सेवक पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालेगा।

**16. प्राइवेट व्यापार या नियोजन**—(1) कोई सरकारी, सेवक, सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न तो कोई व्यापार या कारबार करेगा और न कोई नियोजन स्वीकार करेगा।

परन्तु कोई सरकारी सेवक, ऐसी मंजूरी के बिना, सामाजिक या परोपकारी ढंग का कार्य अथवा कभी-कभी होने वाली साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक ढंग का मान्यक (आनरेरी) कार्य निम्नलिखित शर्तों पर कर सकेगा।

(i) वह ऐसा कार्य हाथ में लेने के एक मास के भीतर यह बात पूरे ब्योरे के साथ सरकार को सूचित कर देगा,

(ii) इसके चलते उसके पदीय कर्त्तव्यों में बाधा न पड़ेगी, और

(iii) वह ऐसा कार्य छोड़ देगा, यदि सरकार ऐसा निदेश दे :

परन्तु यह भी कि यदि ऐसे कार्य को स्वीकार करने में कोई निर्वाच्य पद धारण करना होता हो तो वह सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना किसी ऐसे पद के लिए निर्वाचन में खड़ा नहीं होगा।

**स्पष्टीकरण 1**— यदि कोई सरकारी सेवक अपने परिवार के किसी सदस्य की अपनी अथवा उसके द्वारा प्रबन्धित किसी बीमा एजेंसी या कमीशन एजेंसी के कारबार को बढ़ाने के लिए कोई संयाचना (कनवासिंग) करे तो वह इस उप-नियम का अंग समझा जाएगा।

**स्पष्टीकरण 2**— द्वितीय परन्तुक में निर्दिष्ट निर्वाच्य पद के किसी उम्मीदवार या किन्हीं उम्मीदवारों के हित में मत-संयाचना (कनवासिंग) करना इस उप-नियम का भंग माना जायगा।

(2) यदि सरकारी सेवक के परिवार का कोई सदस्य किसी व्यापार या कारबार में लगा हो, अथवा उसकी अपनी या उसके द्वारा प्रबन्धित कोई बीमा एजेंसी या कमीशन एजेंसी हो तो वह सरकारी सेवक यह बात सरकार को सूचित करेगा।

(3) कोई सरकारी सेवक, सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना या अपने पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन से अन्यथा कम्पनी अधिनियम (कम्पनिज ऐक्ट), 1956 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी बैंक या कम्पनी के अथवा किसी ऐसी सहकारी समिति के, जिसका मूल उद्देश्य वाणिज्य हो, रजिस्ट्रीकरण, सम्बर्द्धन या प्रबन्ध में भाग न लेगा :

परन्तु कोई सरकारी सेवक सहकारी समिति अधिनियम, 1912 (2, 1912)[1] का तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत और मूलतः सरकार किसी सरकारी समिति के, अथवा समिति रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट), 1860 (21, 1860) या तत्समय प्रवृत्त किसी अनुसारी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी साहित्यिक, वैज्ञानिक या परोपकारी संस्था के रजिस्ट्रीकरण, सम्बर्द्धन या प्रबन्ध में निम्नलिखित शर्त्तों के साथ भाग ले सकेगा :—

(i) वह ऐसा कार्य हाथ में लेने के एक मास के भीतर यह बात पूरे ब्योरे के साथ सरकार को सूचित कर देगा।

(ii) इसके चलते पदीय कर्त्तव्यों में बाधा न पड़ेगी, और

(iii) वह ऐसा कार्य छोड़ देगा, यदि सरकार ऐसा निदेश दे :

परन्तु यह भी कि यदि ऐसे कार्य को स्वीकार करने में कोई निर्वाच्य पद धारण करना होता हो तो वह सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना किसी ऐसे पद के लिए निर्वाचन में खड़ा नहीं होगा।

**स्पष्टीकरण**— द्वितीय परन्तुक में निर्दिष्ट निर्वाच्य पद के लिए किसी उम्मीदवार या किन्हीं उम्मीदवारों के हित में मत-संयाचना (कनवासिंग) करना इस उप-नियम का भंग माना जायगा।

(4) कोई सरकारी सेवक, सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना, अपनी सम्पत्ति की बिक्री के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए कोई लाटरी न करेगा।

(5) कोई सरकारी सेवक, सरकार या विहित प्राधिकारी की मंजूरी के बिना, किसी लोकनिकाय या किसी प्राइवेट व्यक्ति का कोई काम करके उसके लिए कोई फीस न लेगा।

**17. धन-विनिधान और ऋण लेना और देना** —(1) कोई सरकारी सेवक किसी भी स्टॉक, शेयर या अन्य धन-विनिधान से सट्टेबाजी नहीं करेगा।

**स्पष्टीकरण**— शेयरों, प्रतिभूतियों और अन्य धन-विनिधान-पत्रों के बराबर खरीद या बिक्री या दोनों इस उप-नियम के अर्थ में सट्टेबाजी समझे जायेंगे।

(2) कोई सरकारी सेवक कोई ऐसा धन-विनिधान, जिससे उसे अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्पादन से परेशानी हो या उस पर प्रभाव पड़े, न स्वयं करेगा और न अपने परिवार के किसी सदस्य को या उसकी ओर से काम करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को करने देगा और यदि कोई सरकारी सेवक अपने परिवार के किसी सदस्य को ऐसा धन-विनिधान करने से रोकने में विफल हो तो वह अविलम्ब इस बात की सूचना सरकार को देगा।

(3) यदि यह प्रश्न उठे कि कोई संव्यवहार उप-नियम (2) में निर्दिष्ट ढंग का है या नहीं, तो इस विषय पर सरकार का निर्णय आन्तिम होगा।

(4) कोई सरकारी सेवक, सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, अपनी प्राधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर भूमि या मूल्यवान सम्पत्ति धारण करने वाले किसी व्यक्ति को न कर्ज देगा और न किसी भी व्यक्ति को ब्याज पर रुपया देगा :

1. अब सहकारी समिति अधिनियम, 1935।

परन्तु कोई सरकारी सेवक अपने वैयक्तिक नौकर को अग्रिम वेतन या अपने किसी मित्र या सम्बन्धी को छोटी-मोटी रकम बिना ब्याज के उधार दे सकेगा, भले ही ऐसे व्यक्ति की भूमि उसकी प्राधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर पड़ती हो।

(5) (i) कोई सरकारी सेवक, किसी बैंक, या किसी पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के साथ चलने वाले कारबार (संव्यवहार) के सामान्य क्रम से अन्यथा, स्वयं या अपने परिवार के किसी सदस्य या अपनी ओर से काम करने वाले किसी व्यक्ति के माध्यम से—

(क) किसी ऐसे व्यक्ति या फर्म या प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी को, जो उसकी प्राधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर पड़ती हो या जिसके साथ उस सरकारी सेवक का पदीय कारबार चलने की सम्भावना हो, न उधार देगा, न उससे लेगा, न उसमें कोई धन मूल या ब्याज के रूप में निक्षिप्त करेगा, और न अन्यथा ऐसे व्यक्ति, फर्म या प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी का कोई धन-सम्बन्धी आभार अपने ऊपर लेगा :

**टिप्पणी**—'क' यहाँ "धन सम्बन्धी आभार" से अभिप्रेत है न सेवक नकदी लेन-देन से उत्पन्न आभार, बल्कि इसमें सेवा या सुविधा के रूप में किसी प्रतिफल के बिना ऐसी कोई वस्तु लेना भी है, जो तुच्छ मूल्य की न हो।

(ख) किसी व्यक्ति को कोई धन ब्याज पर या इस रीति से उधार न देगा, जिसके अनुसार उस उधार या नकदी या जिन्सी प्रतिफल लिया या चुकाया जाता है।

परन्तु कोई सरकारी सेवक अपने किसी सम्बन्धी या निजी मित्र को छोटी रकम का नितांत अस्थायी ढंग का ब्याज-रहित उधार दे सकेगा या उससे ले सकेगा अथवा किसी वास्तविक व्यापारी के साथ उधारी खाता चला सकेगा, या अपने वैयक्तिक कर्मचारी को अग्रिम वेतन दे सकेगा :

परन्तु यह भी कि इस उप-नियम की कोई बात ऐसे किसी संव्यवहार के सम्बन्ध में लागू न होगी जो सरकारी सेवक ने सरकार की पूर्व मंजूरी से किया हो।

(ii) कोई सरकारी सेवक, सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, अपने परिवार के किसी सदस्य को पूर्वगामी उप-नियम में निर्दिष्ट प्रकार का कोई संव्यवहार करने की अनुज्ञा न देगा और यदि कोई सरकारी सेवक अपने परिवार के किसी सदस्यों को ऐसा संव्यवहार करने से रोकने में असमर्थ हो जाए तो वह इस बात की सूचना सरकार को देगा।

(6) जब कोई सरकारी सेवक किसी ऐसे पद पर नियुक्त या अन्तरित किया जाए, जिससे उसके द्वारा उप-नियम (4) या (5) के उपबन्ध भंग हो सकते हों तब, वह स्थिति की रिपोर्ट विहित प्राधिकारी को अविलम्ब करेगा और आगे उन आदेशों के अनुसार काम करेगा जो ऐसा प्राधिकारी उसे दे।

**18. दिवाला और आभ्यासिक ऋणग्रस्तता (कर्जखोरी)**—कोई सरकारी सेवक निजी कामकाज इस तरह चलाएगा कि उसके सामने आभ्यासिक ऋणग्रस्तता (कर्जखोरी) या दिवाले की स्थिति न आने पाये। यदि किसी सरकारी सेवक पर लिए गए किसी ऋण की वसूली या दिवाले के लिए कोई विधिक कार्यवाही चलाई जाए, तो वह अविलम्ब इस सम्बन्ध में पूरी बातें सरकार को सूचित करेगा।

**टिप्पणी**— यह सिद्ध करने का भार ऐसे सरकारी सेवक पर होगा कि ऋणग्रस्तता या दिवाला ऐसी परिस्थिति का परिणाम है जिसे वह अपनी सामान्य जागरुकता के बावजूद पहले ही लक्षित नहीं कर सकता था, या जिस पर उसका कोई वश नहीं था, तथा जिसका कारण उसकी फिजुलखर्ची या मौज उड़ाने की आदत नहीं है।

**19. चल, अचल और मूल्यवान सम्पत्ति**—(1) हरेक सरकारी सेवक, किसी सेवा में या पद पर अपनी प्रथम नियुक्ति के समय और उसके बाद, हरेक बारह मासों के अन्तराल पर, अपनी अस्तियों एवं दायित्वों की विवरणी ऐसे फारम में, जो सरकार द्वारा विहित किया जाय, विहित प्राधिकारी को देगा जिसमें निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में पूरा ब्योरा दिया रहेगा—

(क) ऐसी स्थावर सम्पत्ति, जो उसकी अपनी हो या उसने अर्जित की हो या विरासत में पायी हो अथवा नाम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से, पट्टे या बन्धक पर, उसके द्वारा धारित हो।

(ख) ऐसे शेयर, ऋणपत्र (डिबेंचर) संचयी आवधिक निक्षेप-पत्र और बैंक-निक्षेप सहित नकद रुपए, जो उसके अपने हों या उसने अर्जित किया हो या विरासत में हों अथवा अपने नाम

से या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से अपने द्वारा धारित हों।

(ग) अन्य चल सम्पत्ति जो उसे विरासत में मिली या इसी प्रकार स्वार्जित या स्वधारित हो।

(घ) प्रत्यक्षतः या परोक्षतः उपगत ऋण और दायित्व, यदि कोई हों।

**टिप्पणी—(1)** जबतक अन्यथा निदेश न दिया जाए, उप-नियम (1) सामान्यतः श्रेणी 4 के सेवकों पर लागू नहीं होगा।

**टिप्पणी—(2)** सभी विवरणियों में 1,000 रु० से कम मूल्य की चल सम्पत्ति की मदों का मूल्य जोड़ कर एक मुश्त दिखाया जाए। ऐसी विवरणी कपड़े, बर्त्तन-बासन, पुस्तक आदि जैसी दैनिक उपयोग की वस्तुओं का मूल्य शामिल करना आवश्यक नहीं है।

**टिप्पणी—(3)** हरेक सरकारी सेवक जो इस नियमावली के प्रारम्भ की तारीख को सेवा में हो, इस उप-नियम के अधीन विवरण ऐसी तारीख तक प्रस्तुत करेगा जो ऐसे प्रारम्भ के बाद सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए :

परन्तु यदि ऐसा कोई संव्यवहार—

(क) किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो, जिसका सरकारी सेवक के साथ पदीय कारबार चलता हो, या

(ख) किसी नियमित या ख्यातिप्राप्त व्यापारी के जरिए न करके दूसरी तरह किया जाए, तो इसके लिए सरकारी सेवक को विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी लेनी होगी।

(2) कोई सरकारी सेवक सरकार की पूर्व जानकारी के बिना, किसी अचल सम्पत्ति का अर्जन या निबटाव अपने नाम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से पट्टे, बन्धक खरीद, बिक्री या प्रीतिदान के द्वारा या अन्यथा न करेगा।

(3) हरेक सरकारी सेवक, चल सम्पत्ति के विषय में, यदि ऐसी सम्पत्ति का मूल्य श्रेणी- 1 या श्रेणी- 2 के पद पर काम करने वाले किसी सरकारी सेवक के मामले में 1,000 रु० से अधिक हो या श्रेणी- 3 या श्रेणी- 4 के किसी पद पर काम करने वाले सरकारी सेवकों के मामले में 500 रु० से अधिक हो, अपने नाम से या अपने परिवार के सदस्य के नाम से लिए गए हरेक संव्यवहार की रिपोर्ट संव्यवहार की तारीख से एक मास के भीतर विहित प्राधिकारी को देगा :

परन्तु यदि ऐसा कोई संव्यवहार—

(क) किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो जिसका सरकारी सेवक के साथ पदीय कारबार चलता हो, या

(ख) किसी नियमित या ख्याति प्राप्त व्यापारी के जरिए न करके दूसरी तरह किया जाए, तो इसके लिए सरकारी सेवक को विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी लेनी होगी।

(4) सरकार या विहित प्राधिकारी, किसी भी समय सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी सरकारी सेवक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपने या अपनी ओर से या अपने परिवार के किसी सदस्य द्वारा धारित या अर्जित चल या अचल सम्पत्ति का पूर्ण और सर्वांगीण विवरण प्रस्तुत करे जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, और यदि सरकार या विहित प्राधिकारी ऐसी अपेक्षा करे, तो इस विवरण में उन साधनों या स्त्रोतों का भी ब्योरा रहेगा, जिनसे ऐसी सम्पत्ति अर्जित की गई।

(5) सरकार उप-नियम (4) को छोड़कर इस नियम के किसी उपबन्ध से श्रेणी- 3 या श्रेणी- 4 के सरकारी सेवकों की किसी कोटि को विमुक्त कर सकेगी।

**स्पष्टीकरण**— इस उप-नियम के प्रयोजनार्थ "चल सम्पत्ति" के अन्तर्गत निम्न चीजें आती हैं :—

(क) जेवर, ऐसी बीमा पौलिसियाँ जिनका वार्षिक प्रीमियम 1,000 रु० से अधिक हो, शेयर, प्रतिभूतियाँ और ऋण-पत्र (डिबेंचर);

(ख) ऐसे सरकारी सेवक द्वारा दिए गए या लिए गए ऋण, चाहे उनकी अदायगी हुई हो या न हुई हो;

(ग) मोटर गाड़ियाँ, मोटर साइकिलें, घोड़े, या सवारी का कोई अन्य साधन; और

(घ) रेफ्रिजेरेटर, रेडियो और रेडियोग्राम।

(6) यदि किसी सरकारी सेवक के पास ऐसे आर्थिक साधन-स्त्रोत या ऐसी सम्पत्ति पाई जाए जो उसके ज्ञात आय-स्त्रोतों के अनुपात से अधिक हो और जिसका संतोषजनक हिसाब न दे सके, तो जब तक प्रतिकूल

सिद्ध न किया जाए तब तक यह माना जाएगा कि वह अपने सरकारी कर्त्तव्य पालन में गंभीर कदाचार का दोषी है, जिसके लिए उस पर विभागीय कार्यवाही के साथ-साथ दाण्डिक वाद भी चलाया जा सकेगा।

(7) सरकार या सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से शक्ति-प्रदत्त कोई प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा, किसी सरकारी सेवक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह अपने अथवा अपने परिवार द्वारा धारित या अर्जित किसी भूमि, भवन या किसी अन्य अचल सम्पत्ति के निरीक्षण और मूल्यांकन के लिए सुविधाएँ दे, जैसा कि उस आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय और ऐसे आदेश का अनुपालन नहीं करना सम्बद्ध सरकारी सेवक का गम्भीर पदीय कदाचार समझा जाएगा।

**20. भारत से बाहर अचल सम्पत्ति के अर्जन और निबटाव तथा विदेशियों आदि के साथ संव्यवहार आदि के बारे में प्रतिबन्ध—** नियम 19 के उप-नियम (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के रहते हुए भी कोई सरकारी सेवक, विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना निम्नलिखित कार्य नहीं करेगा :—

(क) अपने नाम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से भारत से बाहर कोई अचल सम्पत्ति खरीद, बन्धक, पट्टे या प्रीतिदान द्वारा या अन्यथा अर्जित करना;

(ख) भारत से बाहर अवस्थित किसी ऐसी अचल सम्पत्ति को जो उसके द्वारा अपने नाम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से अर्जित की गई थी या धारित है, बिक्री बन्धक, या प्रीतिदान द्वारा या अन्यथा निबटाना या पट्टे पर देना।

(ग) निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किसी विदेशी व्यक्ति, विदेशी सरकार, विदेशी संगठन या प्रतिष्ठान के साथ किसी संव्यवहार का करार करना—

(i) खरीद बन्धक, पट्टा या प्रीतिदान द्वारा या अन्यथा अपने नाम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से किसी अचल सम्पत्ति को अर्जन करने के लिए।

(ii) बिक्री बन्धक या प्रीतिदान द्वारा या अन्यथा किसी ऐसी अचल सम्पत्ति को जो अपने नाम या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से उसने अर्जित की थी उसके द्वारा धारित है निबटाने के लिए या पट्टे पर देने के लिए।

**21. सरकारी सेवकों के कार्य और आचरण का प्रतिसमर्थन—** कोई सरकारी सेवक सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना अपने किसी ऐसे पदीय कार्य को जो प्रतिकूल आलोचना या अपमानजनक आक्षेप का विषय रहा हो, प्रतिसमर्थित कराने के लिए न्यायालय या समाचार-पत्र की शरण न लेगा।

**स्पष्टीकरण—** इस नियम की किसी बात से यह न समझा जायगा कि कोई सरकारी सेवक अपने व्यक्तिगत चरित्र या व्यक्तिगत हैसियत से किये गये किसी कार्य का प्रतिसमर्थन नहीं कर सकता है; लेकिन वह ऐसी कार्रवाई के सम्बन्ध में सरकार को रिपोर्ट करेगा।

**22. गैर-सरकारी या अन्य बाहरी प्रभाव द्वारा सँयाचना (कनवासिंग) —** कोई सरकारी सेवक सरकार के अधीन अपनी सेवा से सम्बन्धित किसी विषयों के सम्बन्ध में अपने हितसाधन के लिए किसी उच्चतर पदाधिकारी पर कोई राजनीतिक अथवा अन्य बाहरी प्रभाव न डालेगा और न डालने की कोशिश करेगा।

**23. विवाह के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध—**(1) कोई सरकारी सेवक किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसका पति या पत्नी जीवित हो विवाह या विवाह के लिए करार नहीं करेगा, और

(2) ऐसा कोई सरकारी सेवक जिसका पति या पत्नी जीवत हो किसी व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह के लिए करार नहीं करेगा :

परन्तु सरकार किसी सरकारी सेवक को खण्ड (1) या खण्ड (2) में निर्दिष्ट विवाह या विवाह के लिए करार करने की अनुज्ञा दे सकेगी यदि उसका समाधान हो जाए कि—

(क) ऐसे विवाह ऐसे सरकारी सेवक और ऐसे विवाह के द्वितीय पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और

(ख) ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं।

(3) जो सरकारी सेवक भारतीय नागरिक से भिन्न किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका हो या करे वह अविलम्ब सरकार को यह बात सूचित करेगा।

**24. दहेज लेना या देना**—कोई सरकारी सेवक दहेज न लेगा और न देगा तथा दहेज लेने या देने के लिए किसी को दुष्प्रेरित न करेगा।

**टिप्पणी**—दहेज लेना या देना अथवा दहेज लेने के लिए दुष्प्रेरित करना एक कदाचार समझा जायगा और इसके लिए सम्बद्ध सरकारी सेवक पर अनुशासनात्मक कार्रवाही की जा सकेगी।

**25. निर्वचन**—यदि इस नियमावली के किसी नियम के निर्वचन में कोई शंका उत्पन्न हो तो वह सरकार को निदेशित किया जायगा और उस पर उसका निर्णय अन्तिम होगा।

**26. शक्तियों का प्रत्यायोजन**—सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्देश दे सकेगी कि इस नियमावली के अधीन जो कोई शक्ति (नियम 23 के अधीन शक्तियों को छोड़कर) सरकार द्वारा या किसी विभागाध्यक्ष द्वारा प्रयोज्य है उसका प्रयोग उक्त आदेश में या विनिर्दिष्ट शर्त्तों के अधीन रहते हुए ऐसा पदाधिकारी या प्राधिकारी करेगा जो उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए।

**27. निरसन और व्यावृत्ति**—बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1956 (इसमें आगे उक्त नियमावली के रूप में निर्दिष्ट) इसके द्वारा निरसित की जाती है और वह प्रवृत्त न रह जायगी :

परन्तु इस निरसन से—

(क) उक्त नियमावली के पूर्व प्रवर्त्तन पर या उसके अधीन सम्यक रूप से की गई या हुई किसी बात पर, अथवा

(ख) ऐसे किसी अधिकार, सुविधाधिकार, आभार या दायित्व पर जो उक्त नियमावली के अधीन अर्जित, उपगत या प्रोदभूत हो चुका हो, अथवा

(ग) उपर्युक्त किसी अधिकार, सुविधाधिकार, आभार, दायित्व, शास्ति या दण्ड के सम्बन्ध में उक्त नियमावली के अधीन किए जा चुके किसी अनुसंधान, विधिक कार्यवाही या उपचार पर,

कोई प्रभाव न पड़ेगा और अनुसंधान, विधिक कार्यवाही या संस्थित क्रिया जारी रखा या प्रवर्तित किया जा सकेगा और ऐसी कोई शास्ति या दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा मानो उक्त नियमावली पूर्ववत् प्रवृत्त है।

**राज्य सरकार का निर्णय :**

**प्रेषक : श्री ए० के० बसाक, सरकार के मुख्य सचिव / सेवा में, सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव / सरकार के सभी सचिव।**

***विषय : समय पर कार्यालय में आगमन-गमन।**

पदाधिकारियों को समय पर कार्यालय आने के लिए, सरकार द्वारा एकाधिक परिपत्र निर्गत किए गये हैं। परन्तु उसका सहज में फलाफल दृष्टिगत नहीं होता है।

मुझे खेद के साथ लिखना पड़ता है कि 10.15 बजे पूर्वाह्न में भी एवं कभी-कभी 10.30 बजे पूर्वाह्न में भी वरीय अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध नहीं होते हैं और दूरभाष की घंटी का भी कोई उत्तर नहीं मिलता है।

मेरा सादर अनुरोध है कि सभी पदाधिकारी अवश्य 10.00 बजे पूर्वाह्न अपने कार्यालय में आवे। ज्ञातव्य है कि पदाधिकारियों के लिए कार्यालय आने का समय पूरे वर्ष के लिए 10.00 बजे पूर्वाह्न से ही है। वरीय पदाधिकारीगण को यथासमय कार्यालय आकर punctuality का उदाहरण अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के हित में आवश्यक है।

**[*पत्रांक 4083/ सी० एस० दिनांक 4-11-1993]**

झारखंड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

## अ धि सू च ना

रांची, दिनांक 31 जुलाई, 2001.

संख्या-7/वि0वि0प्र0- 5011/2001 का0 2496 / बिहार पुनर्गठन अधिनियम -2000 (2000 का अधिनियम संख्या- 30) के भाग- II की धारा-3 के अधीन दिनांक -15 नवम्बर, 2000 से झारखंड राज्य को स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आ जाने के फलस्वरूप , के साथ ही, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा-जे. टी.- 1997(7) एस. सी.-384 में निदेशित सिद्धान्तों के अनुरूप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा अभिव्यक्त मार्ग दर्शन को कार्यान्वित करने हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के साथ बिहार पुनर्गठन अधिनियम की धारा-85 के उपबंधों के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत झारखंड राज्यपाल को इस बात का समाधान हो जाने पर कि लोकहित और राज्यहित में ऐसा करना आवश्यक है, " बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली-1976 " को अग्रतर संशोधनों एवं व्यावश्यक [illegible] (इसे इसके उपरान्त अधिसूचना द्वारा अंगीकृत किया जाता है ।

1. इस नियमावली में (यथा संशोधनों के साथ) वैसे प्रत्येक स्थान पर अन्तर्विष्ट जहाँ कहीं भी "बिहार", "बिहार राज्य ", "राज्य सरकार " या "पटना" शब्दों का प्रयोग किया गया है, वहाँ उन सभी प्रत्येक स्थानों पर क्रमशः " झारखंड," "झारखंड राज्य," "झारखंड सरकार" या "रांची" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाता है ।

2. "सरकारी सेवक आचार नियमावली-1976 " के नियम-"3" के पश्चात्- 3 (ए)(i), एवं (ii) की प्रविष्टियां अन्तः स्थापित की जाएगी, जिसे झारखंड राज्यपाल, दिनांक 28 वीं जुलाई, 2001 से संशोधन करते हैं, यथा :-

" संशोधन "

[illegible] एवं (ii)-कामकाजी महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़नाद निषेध-

(i) कोई भी सरकारी सेवक, कार्यस्थल पर किसी भी महिला के साथ यौन उत्पीड़न या यातना संबंधी ऐसे किसी भी अन्य कार्य में संलिप्त नहीं होगा ।

(ii) वैसे प्रत्येक सरकारी सेवक, जो वहाँ किसी कार्यस्थल का प्रभारी है, वहाँ पर किसी भी महिला/कामकाजी महिला के साथ यौन उत्पीड़न या यातना को रोकने हेतु सार्थक कदम उठायेगा ।

स्पष्टीकरण :- इस नियम के प्रयोजनार्थ " यौन उत्पीड़न" से अभिप्रेत प्रत्यक्षतः, या अन्यथा वासनात्मक कार्यों से प्रेरित किसी भी प्रकार का ऐसा कोई भी अभद्र, अशोभनीय और अशोभनीय व्यवहार शामिल है, जैसे कि -

(क) शारीरिक स्पर्श, अथवा कामोदीप्त, कामोत्तेजित प्रणयात्मक चेष्टाएं,

(ख) यौन स्वीकृति की माँग या प्रार्थना,

(ग) काम वासना से उत्प्रेरित कामोत्तेजित बोक्तव्यां,

(घ) किसी प्रकार का कामोत्तेजक व्यवहार,अश्लील साहित्य या सामाग्रियों का प्रदर्शन अथवा यौन संबंधी किसी भी प्रकार का अन्यान्य,मौखिक या सांकेतिक, जो भी हो, अशोभनीय शारीरिक चेष्टाएं या आचरण ।

उपरोक्त अंकित संशोधनों को, इस नियम से अन्यथा कोई विपरीत बात न हो, इस हद तक संशोधित समझा जायगा, जो इस अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक 30 जुलाई, 2001 से प्रभावी होगा ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

30.7.2001

( एस० के० चौधरी )
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-7/विधि0प0-5011/2001 का0 2496/रांची, दिनांक 31 जुलाई, 2001

प्रतिलिपि:- सभी आयुक्त एवं सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/एवं सचिव झारखंड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

30.7.2001

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-7/विधि0प0-5011/2001 का0 2496/रांची, दिनांक 31 जुलाई, 2001

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/महालेखा परीक्षक के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/महानिदेशक,उच्च न्यायालय झारखंड/महाधिवक्ता, झारखंड,रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

30.7.2001

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-7/विधि0प0-5011/2001 का0 2496/रांची, दिनांक 31 जुलाई, 2001

[illegible] कार्मिक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरंडा, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उक्त अधिसूचना [illegible] जानकारी के प्रयोजनार्थ इसे "झारखंड गजट" के "असाधारण " अंक में मुद्रित कर प्रकाशित किया जाए, जिसकी 50 प्रतियाँ विधि विभाग एवं 250 प्रतियाँ इस विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाए ।

30.7.2001

सरकार के सचिव ।

नरेश/